उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1985-86

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

345502
378·06
HAR-U

प्रकाशक :
निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	समीक्षा	i—iv
1.	प्रशासन एवं संगठन	1—3
2.	सामान्य शिक्षा (महाविद्यालय)	4—7
3.	छात्रवृत्ति एवं अन्य वित्तीय सहायता	8—12
4.	विविध	13—18

Unit,
New Delhi-110016
DOC. No. D-9912
Date 6/3/91

5455[illegible]
37[illegible]05
HAR-4

Review of the Annnual Administrative Report for the Year 1985-86 of Higher Education.

Two Universities and 128 affiliated colleges which include 94 Non-Govt. colleges, are providing Higher Education in the State. In these colleges 18 colleges belong to Teacher's Training. The number of students received education in these colleges in 1985-86 is 113762, out of that the number of girls students is 36465. Colleges of Education trained 3545 students out of which 1749 are girls students.

An amount of Rs. 2081.03 lakh was spent on Higher Education in the year 1985-86. The expenditure in non-Govt. Colleges to the tune of 95% of the deficit is met by the Govt. in the form of maintenance grant. An amount of Rs. 3.50 Crores to Rohtak University, Rs. 4.04 Crores to Kurukshetra University and Rs. 6.04 Crores to Non-Govt. Colleges was given as grant in the year 1985-86. Under the various schemes of scholarships and financial aids of Govt. of India an amount of Rs. 77.01 lakh and 31.99 lakh was spent respectively and respectively 7795 and 5801 students benefitted.

It was decided by the Government to make payment of salaries through Banks to Non-Govt. Colleges staff during the period under report.

An amount of Rs. 94000/- was sanctioned for organising Science exhibition in 17 Govt. colleges.

N.S.S. Programme is running in the State for the development of personality and mind of the students. The number of volunteers in the colleges is 17000. 156 camps were organised by the volunteers for rural uplift in the year 1985-86. Rs. 20.17 lakh were provided for N.S.S. Programme during 1985-86.

Students are imparted training in the Navy, Army and Air Service wings under N.C.C. Scheme. The number of cadets in the Junior Division of School students is 16550 and the number of cadets in Senior Division of colleges students is 12200.

During the period under report, District Libraries at Faridabad and Kurukshetra and Sub-Divisional Libraries at Kaithal, Panipat, Bahadurgarh and Yamuna Nagar were established.

उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1985-86 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिये दो विश्वविद्यालय और इससे सम्बन्धित 128 महाविद्यालय हैं, जिनमें 94 महाविद्यालय गैर सरकारी हैं। इन महाविद्यालयों में 18 महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण के हैं। वर्ष 1985-86 में इन महाविद्यालयों में 113762 विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की जिनमें छात्राओं की संख्या 36465 हैं। इन छात्रों में 3545 छात्र शिक्षक प्रशिक्षण के हैं, जिनमें 1749 छात्रायें हैं।

वर्ष 1985-86 में उच्चतर शिक्षा पर 2081.03 लाख रुपये व्यय किये गये। सरकार अराजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन के 95 प्रतिशत की राशि की प्रतिपूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती हैं। वर्ष 1985-86 में 3.50 करोड़ रुपये रोहतक विश्वविद्यालय को, 4.04 करोड़ रुपये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को तथा 6.04 करोड़ रुपये अराजकीय महाविद्यालयों को अनुदान दिया गया।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों एवं वित्तीय सहायता के अन्तर्गत क्रमशः 77.01 लाख रुपये तथा 31.99 लाख रुपये खर्च हुए और क्रमशः 7795 तथा 5801 छात्र लाभान्वित हुए। इनमें से अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के छात्रों पर 85.64 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 11092 छात्रों को लाभ पहुंचा। वर्ष 1985-86 में सरकार द्वारा अराजकीय महाविद्यालयों में नियुक्त अमले को बैंक के माध्यम से वेतन देने का निर्णय लिया गया।

17 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी लगाने के लिये 9400 रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

छात्रों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिये राज्य में एन

एस0 एस0 कार्यक्रम चालू है । महाविद्यालयों में स्वयं सेवकों की संख्या 17000 है । ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु स्वयं सेवकों द्वारा वर्ष 1985–86 में 156 शिविर लगाये गये । एन0 एस0 एस0 कार्यक्रम के लिये वर्ष 1985–86 में 20.17 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

एन0 सी0 सी0 स्कीम के अन्तर्गत छात्रों को सेना की तीनों जल, थल तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है । विद्यालयों के छात्रों के जूनियर डिविजनों की कैडट्स की संख्या 16550 है तथा महाविद्यालयों के छात्रों के सीनियर डिविजनों के कैडट्स की संख्या 12200 है ।

रिपोर्टाधीन अवधि में फरीदाबाद तथा कुरुक्षेत्र में जिला पुस्तकालय और कैथल, पानीपत, बहादुरगढ़ और यमुनानगर में उप मण्डल पुस्तकालय स्थापित किये गये ।

———

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

1.1 वर्ष 1985–86 में श्री जगदीश नेहरा ने शिक्षा मन्त्री के पद पर कार्य किया ।

(क) सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद पर श्री एल0 एम0 जैन, आई0 ए0 एस0 रहे । संयुक्त सचिव के पद पर श्री आर0 एस0 कैले, आई0 ए0 एस0 ने कार्य किया ।

(ख) निदेशालय स्तर पर

निदेशक उच्चतर शिक्षा के पद पर श्री ओ0 पी0 भारद्वाज, आई0 ए0 एस0 ने 19–9–85 तक तथा इसके उपरान्त श्री मति प्रोमिला ईस्सर, आई0 ए0 एस0 ने रिपोर्ट अधीन अवधि में कार्य किया । निम्न-लिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य की सुचारु रूप से चलाने के लिये निदेशक, उच्चतर शिक्षा को सहयोग दिया ।

पद	पदों की संख्या
1	2
1. संयुक्त निदेशक, प्रशासन	1 एच0 सी0 एस0
2. संयुक्त निदेशक महाविद्यालय	1 एच0 ई0 एस0
3. उप-निदेशक महाविद्यालय	2 –सम–

1	2
4. सहायक निदेशक, महाविद्यालय	4 —सम—
5. लेखा अधिकारी, महाविद्यालय	1
6. रजिस्ट्रार शिक्षा	1
7. सहायक रजिस्ट्रार शिक्षा	1

1.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारु रूप से प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिये निदेशक, उच्चतर शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं। परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं।

1.3 शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1985–86 में महाविद्यालय शिक्षा पर 2081.03 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसमें से योजनेतर पक्ष पर 1886.33 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 194.70 लाख रुपये व्यय हुये। वर्ष 1984–85 में यह व्यय 1814.12 लाख रुपये था, जिसमें से योजनेतर व्यय 1501.21 लाख रुपये तथा योजनागत व्यय 312.91 लाख रुपये था।

1.4 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान

अराजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार उदारतापूर्वक अनुदान देती है। अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार अराजकीय महाविद्यालयों को उनके घाटे का 95 प्रतिशत तक अनुदान देती है। केवल यही नहीं अराजकीय महाविद्यालयों को उनके विकास के लिये भी वित्तीय सहायता समय-समय पर दी जाती रही है।

रिपोर्टाधीन वर्ष में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को शिक्षा एवं शिक्षा विकास कार्यक्रमों के लिये निम्नलिखित अनुदान दिए गए।

	1984–85	1985–86
	(रुपये करोड़ों में)	
1. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	2.72	3.50
2. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2.89	4.04
3. अराजकीय महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	5.40	6.04

1.5 अराजकीय महाविद्यालयों में प्रशासकों की नियुक्ति

यदि किसी अराजकीय महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति उचित तौर पर कार्य नहीं करती है तो सरकार उस महाविद्यालय का प्रबन्ध अधिग्रहण करके उसमें प्रशासक नियुक्त कर देती है। वर्ष 1985–86 में छोटू राम शिक्षण महाविद्यालय, रोहतक, सी0 आर0 ए0 कालेज सोनीपत तथा टीकाराम शिक्षण महाविद्यालय, सोनीपत में प्रशासकों की नियुक्ति की गई। छोटू राम शिक्षण महाविद्यालय रोहतक का प्रबन्ध उसकी नव निर्वाचित जाट एजुकेशन सोसायटी, रोहतक, को वापिस सौंप दिया है। शेष उपरोक्त महाविद्यालयों का प्रबन्ध अब भी प्रशासकों के पास है।

अध्याय दूसरा

सामान्य शिक्षा महाविद्यालय

2.1 महाविद्यालयों की संख्या

हरियाणा राज्य में दो विश्वविद्यालय हैं। एक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक तथा दूसरा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र। इसके अतिरिक्त राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 30-9-85 की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार थी।

	1984-85		1985-86	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
राजकीय महाविद्यालय	32	1	32	1
अराजकीय महाविद्यालय	51	26	51	26
	83	27	83	27

2.2 छात्र संख्या

(क) इन महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :-

शिक्षा का स्तर	1984-85		1985-86	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1	2	3	4	5
प्री यूनिवर्सिटी	34967	10478	28678	9798

1	2	3	4	5
तीन वर्षीय डिग्री कोर्स	40044	20677	42945	22134
एम0ए0/एम0एस0सी0/ एम0 काम0	2049	2078	2350	2241
पी0 एच0 डी0/एम0 फिल0	302	220	273	210
अन्य	1394	286	1255	333
योग	78756	33739	75501	34716
संस्थाओं अनुसार छात्र संख्या				
राजकीय महाविद्यालय	26271	7368	25094	7720
अराजकीय महाविद्यालय	49683	24985	47675	25476
विश्वविद्यालय	2802	1386	2732	1520
योग	78756	33739	75501	34716

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हरियाणा में सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 12495 थी जबकि वर्ष 1985–86 में 110217 हो गई है ।

(ख) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित

जातियों के छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

शिक्षा स्तर	1984–85		1985–86	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
प्री-यूनिवर्सिटी	3485	190	2925	21
तीन वर्षीय डिग्री कोर्स	3155	247	3500	29
एम0 ए0/एम0 एस0 सी0/ एम0 काम0	185	24	183	2
पी0 एच0 डी0/एम0 फिल0	11	2	14	
अन्य	108	3	79	
योग	6944	466	6701	53
संस्थाओं अनुसार छात्र संख्या				
राजकीय महाविद्यालय	2525	134	2467	126
अराजकीय महाविद्यालय	4226	318	4060	392
विश्वविद्यालय	193	14	174	14
योग	6944	466	6701	53

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों/विश्व विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या 7158 थी जो वर्ष 1985–86 में 7233 हो गयी है ।

2.3 अध्यापक

रिपोर्टाधीन अवधि में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	1984–85		1985–86	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
राजकीय महाविद्यालय	1088	417	1087	483
अराजकीय महाविद्यालय	1701	736	1669	861
विश्वविद्यालय	322	49	477	97

2.4 सह शिक्षा

हरियाणा राज्य में लड़कों के सभी महाविद्यालयों में लड़कियों को भी पढ़ाने की अनुमति है ।

अध्याय तीसरा

छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

3.1 योग्य विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिये राज्य तथा भारत सरकार की भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के छात्रों को भी शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है ।

3.2 भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को उत्साहित करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 में 1411 छात्रों की छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इस छात्रवृत्ति योजना पर वर्ष 1985–86 में 12.75 लाख रुपये खर्च हुए । वर्ष 1984–85 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना अधीन 1409 छात्रवृत्तियों पर 13.13 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

3 3 राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 में 956 हरियाणवी योग्य छात्रों को मैट्रिक उपरान्त उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पढ़ने के लिये योग्यता छात्र-वृत्तियां दी गईं तथा छात्रवृत्तियों के रूप में 8.73 लाख रुपये की राशि छात्रों में वितरित की गई। यह छात्रवृत्ति उन्हीं विद्यार्थियों को दी गई जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 10,000 रुपये है । वर्ष 1984–85 में इस स्कीम के अन्तर्गत 1124 छात्रवृत्तियों पर 4.56 लाख रुपये की राशि व्यय की गई ।

3.4 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गरीब. माता-पिता के योग्य छात्रों को जो कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति ऋण के रूप में दी जाती है। वर्ष 1985–86 में 49 छात्रों की छात्रवृत्तियां स्वीकृत/नवीकरण की गईं जिस पर 37440 रुपये का खर्च हुआ। वर्ष 1984–85 में 80 छात्रों को 55500 रुपये की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई।

3.5 राज्य हरिजन कल्याण योजना अधीन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को सुविधाएं

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। निशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को विभिन्न कक्षाओं और कोर्सों में पढ़ने हेतु 30 रुपये मासिक दर से लेकर 70 रुपये मासिक दर तक वजीफे/छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 1985–86 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के 4657 छात्र/छात्राओं को 21.75 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां/वजीफे दिए गए। इस राशि में से हरिजन तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 में 4935 छात्र/छात्राओं को 22.22 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां/वजीफे दिए गए।

3.6 भारत सरकार की मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जातियों के छात्रों/छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा संस्थाओं में भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं को 50 रुपये से लेकर 200 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। जिन छात्र/

छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 9,000 रुपये तक है उन्हें पूरी दर से छात्रवृत्तियां दी जाती है और जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 9001 रुपये से 12000 रुपये है उन्हें आधी दरों से छात्रवृत्ति दी जाती है । इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 में 6385 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए तथा 63.80 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । वर्ष 1984–85 में इस योजना के अन्तर्गत 7262 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए तथा 63.89 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । अनिवार्य रूप से दी जाने वाली निशुल्क शिक्षा के अन्तर्गत छात्राओं के कक्षा शुल्क तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई ।

3.7 अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति

हरियाणा में स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है । वर्ष 1985–86 में 27 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई । इन छात्रवृत्तियों पर 17900 रुपये खर्च किए गए । वर्ष 1984–85 में इस छात्रवृत्ति योजना पर 0.25 लाख रुपये खर्च हुए तथा 23 छात्रों को लाभ पहुंचाया ।

3.8 निम्न आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ

इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिए 2000 रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को, (2400 रुपये की आय सीमा इंजिनियरिंग/मैडिकल/कृषि/पशुपालन के कोर्सों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए) 27 रुपये से लेकर 70 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियां दी जाती है । इसके अतिरिक्त शिक्षा, शुल्क, अन्य अनिवार्य फण्ड तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है । वर्ष 1985–86 में इस स्कीम के अन्तर्गत 1.21 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा 143 छात्रों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 1984–85 में इस स्कीम के अन्तर्गत 0.88 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा 114 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

3.9 विमुक्त जातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति

विमुक्त जातियों के बच्चों को स्कूल तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति देने के लिए अलग से विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है । वर्ष 1985–86 में इस योजना के लिए 11700 रुपये की व्यवस्था की गई तथा 18 छात्रों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 1984–85 में इस योजना के लिये 93000 रुपये की व्यवस्था की गई तथा 2000 छात्रों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 1985–86 में छात्रवृत्तियों की संख्या में कमी का कारण यह है कि रिपोर्टाधीन वर्ष से पूर्व यह योजना विद्यालय तथा महाविद्यालय में सम्मिलित रूप से चलती थी। परन्तु वर्ष 1985–86 से महाविद्यालय के छात्रों के लिये इस छात्रवृत्ति की अलग से व्यवस्था कर दी गई है ।

छात्रवृत्ति योजना	लाभान्वित छात्रों की संख्या		व्यय की गई राशि (रुपये लाखों में)	
	1984–85	1985–86	1984–85	1985–86
1 2	3	4	5	6
1. भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	1400	1411	13.13	12.75
2 राज्य योग्यता छात्रवृत्ति	1124	956	4.56	8.73
3. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति	80	49	0.56	0.37
4. राज्य हरिजन कल्याण योजना छात्रवृत्ति	4935	4657	22.22	21.75

1	2	3	4	5	6
5.	भारत सरकार मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जातियां छात्रवृत्ति	7262	6335	62.53	53.89
6.	अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति	23	27	0.25	0.18
7.	निम्न आयवर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति	114	143	0.88	1.21
8.	विमुक्त जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति	2000	18	1.60	0.12

अध्याय चौथा

विविध

4.1 अध्यापक प्रशिक्षण

वर्ष 1985–86 में भिन्न-भिन्न वर्गों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रम की सुविधाएं उपलब्ध थीं।

(क) एम0 एड0 कक्षाएं

राज्य में एम0 एड0 की कक्षाएं सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला, राव विरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में उपलब्ध रहीं। इन तीनों संस्थाओं में वर्ष 1985–86 में 57 लड़कों तथा 71 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया। वर्ष 1984–85 में छात्रों की संख्या 58 और 80 लड़कियां थी।

(ख) बी0 एड0 कक्षाएं

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या 18 थी, जिनमें बी0 एड0 प्रशिक्षण की कक्षाएं चालू थी। इन सभी महाविद्यालयों में 1574 लड़के और 1645 लड़कियों ने बी0 एड0 कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया। वर्ष 1984–85 में इन छात्रों की संख्या 1212 लड़के तथा 1527 लड़कियां थी।

(ग) शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण

शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, हिसार तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में समुचित प्रबन्ध है। वर्ष 1985–86 में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 59 लड़के

25 लड़कियों ने तथा स्नातक स्तर पर 106 लड़के और 8 लड़कियों ने प्रवेश लिया । वर्ष 1984–85 में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 27 लड़के और 20 लड़कियों ने तथा स्नातक स्तर पर 130 लड़के और 19 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया ।

4.2 एन0 एस0 एस0

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य में एन0 एस0 एस0 कार्यक्रम चालू है । एन0 एस0 एस0 योजना के अन्तर्गत स्वयं सेवकों की संख्या 19800 हो गई है । जबकि वर्ष 1984–85 में इनकी संख्या 17000 थी । इस समय यह प्रोग्राम हरियाणा में स्थित तीनों विश्वविद्यालयों तथा इनसे सम्बन्धित 115 महाविद्यालयों में चल रहा है । वर्ष 1986–86 में इस कार्यक्रम के लिये विभाग के बजट में 20.17 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एन0 एस0 एस0 के स्वयं सेवक विशेष सहयोग देते हैं । ग्रामीण जनता उत्थान हेतु यूथ फार रुरल रिकस्ट्रक्शन (Youth for Rural Reconstruction) अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1985–86 में 156 शिविर लगाये गये थे । इन शिविरों में से 77 शिविर रोहतक विश्वविद्यालय द्वारा, 76 शिविर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा तथा 3 शिविर कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा लगाये गये । इन शिविरों में से कुछ शिविर मलीन बस्तियों में लगाये गये । 8552 छात्रों ने इन शिविरों में भाग लिया। इस योजना के अन्तर्गत स्वयं सेवक ग्रामीण सामुदायिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के शिविर लगाते हैं । इस उद्देश्य के लिये अन्य विभागों का तथा स्थानीय जनता का भी सहयोग प्राप्त होता है । इन शिविरों में मुख्यतः निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्य किया गया :—

1. Education and Recreation including Adult Education.
2. Slum clearance.
3. Health & Family Welfare & Nutrition Programme.

4. Production Oriented Programme.
5. Social Service in Welfare Institutions.
6. Work during Emergencies.
7. Improvement of sanitation.
8. Improvement of the Status of Women.
9. Eradication of dowery and other social evils.
10. Plantation of trees.

4.3 एन0 सी0 सी0

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार एन0 सी0 सी0 स्कीम के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, स्थल तथा वायु सेवाओं का प्रशिक्षण राज्य में एन0 सी0 सी0 कैडेट्स को दिया जाता है । विद्यालयों के छात्रों के लिए जुनियर डिविजन तथा महाविद्यालयों के छात्रों के लिये सीनियर डिविजन स्थापित किये जाते हैं । छात्र अपनी स्वेच्छा से एन0 सी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अनिवार्य रूप से नहीं । इस प्रशिक्षण को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर करती है । वर्ष 1985–86 में एन0 सी0 सी0 परियोजना को चलाने हेतु 84.69 लाख रुपये की व्यवस्था की गई । हरियाणा में एन0 सी0 सी0 कार्यक्रम की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(क) सीनियर डिविजन

	बटालियनों की संख्या	कैडिट्स की संख्या
1. इंफैंटरी बटालियन (लड़कों के लिए)	12	10080
2. इंफैंटरी बटालियन (लड़कियों के लिये)	2	1600
3. वायु स्कावाड्रन	2	400
4. जलविंग यूनिट	1	200
5. ग्रुप हैडक्वार्टर्स	2	

	बटालियनों की संख्या	कैडिट्स की संख्या
(ख) जुनियर डिविजन		
आर्मी विंग (लड़कों के लिये)	130	13650
आर्मी विंग (लड़कियों के लिए)	10	1100
जल विंग	5	1350
वायु विंग	14	450

पार्ट टाइम एन0 सी0 सी0 अधिकारियों का मानदेय जनवरी, 1985 से बढ़ाया गया है । मानदेय बढ़ाने का पदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

सीनियर डिविजन	जनवरी, 1985 से पहले की दर	वर्तमान दर
1. मेजर	100/- रु0 मासिक	200/- रु0 मासिक
2. कप्तान	90/- रु0 मासिक	200/- रु0 मासिक
4. लैफ्टीनैंट	80/- रु0 मासिक	150/- रु0 मासिक
4. 2nd लैफ्टीनैंट	75/- रु0 मासिक	150/- रु0 मासिक
(ख) जुनियर डिविजन		
5. चीफ आफिसर	75/- रु0 मासिक	150/- रु0 मासिक
6. प्रथम अधिकारी	75/- रु0 मासिक	125/- रु0 मासिक
7. द्वितीय अधिकारी	55/- रु0 मासिक	125/- रु0 मासिक
8. तृतीय अधिकारी	50/- रु0 मासिक	100/- रु0 मासिक

4.5 अराजकीय महाविद्यालयों में नियुक्त अमले के वेतनमान

वर्ष 1985–86 में सरकार द्वारा अराजकीय महाविद्यालयों के विषय में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया । इस निर्णय के अनुसार वर्ष 1986–87 से अराजकीय महाविद्यालयों में नियुक्त अमले को वेतन बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा । इससे उनके वेतन की समस्या का समाधान हो गया है ।

4.6 विज्ञान प्रदर्शनी

सरकार से 17 अराजकीय महाविद्यालयों, जहां पर विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, में वर्ष 1985–86 में विज्ञान प्रदर्शनी लगाने हेतु 94000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि में से 14 महाविद्यालयों को 5000 रुपये प्रति महाविद्यालय तथा शेष तीन महाविद्यालयों को 3000 रुपये प्रति महाविद्यालय की दर से राशि स्वीकृत की गई तथा यह प्रदर्शनी 21–2–86 को द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, गुड़गांव में आयोजित की गई ।

4.7 जिला/उपमण्डल पुस्तकालय

रिपोर्टाधीन अवधि में फरीदाबाद तथा कुरुक्षेत्र में जिला पुस्तकालयों की स्थापना की गई है । इन दो जिला पुस्तकालयों की स्थापना से अब राज्य के सभी जिलों में पुस्तकालय हो गये हैं, क्योंकि रिपोर्टाधीन अवधि से पूर्व 10 जिलों में पुस्तकालय विद्यमान थे ।

विभाग ने राज्य में उप मण्डल स्तर पर भी पुस्तकालय स्थापित करने आरम्भ कर दिए हैं। वर्ष 1985–86 में कैथल, पानीपत, बहादुरगढ़ तथा यमुनानगर में उप मण्डल पुस्तकालय स्थापित किए गए ।

वर्ष 1985–86 में नए पुस्तकालय स्थापित करने हेतु 262700 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई ।

4.8 भाषा कक्ष

शिक्षा विभाग में एक भाषा कक्ष स्थापित है । यह कक्ष हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों आदि से प्राप्त प्रशासनिक सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कार्य करता है, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, वित्त मन्त्री का भाषण, बजट, विभागों से प्राप्त मैनुअल, साहित्य व ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्टों तथा प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य सम्मलित है । वर्ष 1985–86 में लगभग 2834 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया है ।

हिन्दी भाषी राज्यों में प्रचलित प्रशासनिक शब्दों को सरल बनाने और इन्हें एकरूपता देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के संयोजन में बनी समिति की सभी बैठकों में भाग लिया और सर्वसम्मत रूप से प्रशासनिक शब्दावली कार्य पूर्ण किया ।

———

18518—D.P.I.—H.G.P., Chd.

D - 4412

NIEPA DC

D04412